इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 01.04.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना चौबिया व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.05.2021 को वादी अरविन्द सिंह पुत्र स्व0 फूल सहाय निवासी कुलैसी थाना चौबिया जनपद इटावा द्वारा थाना चौबिया पर वादी के बडे पुत्र घनश्याम उर्फ रामवचन की पैसे के लेन देन को लेकर हुये झगडे की वजह से खेत पर गला दबाकर हत्या कर देनें के संबंध में तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना चौबिया पर **मु0अ0सं0 62/2021 धारा 302 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी थानाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार सोलंकी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सुनील उर्फ श्याम वचन पुत्र अरविन्द सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना चौबिया पुलिस टीम, पैरोकार का0 दानवीर सिंह एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 01.04.2024 को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय एडीजे-10 स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट जनपद इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा व 10,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **सुनील उर्फ श्याम वचन पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्राम कुसैली थाना चौबिया जनपद इटावा।**